न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

अपील प्र0सं0 33/2022

1. बलवीरसिंह पुत्र श्री कुशालसिंह जाति रायसिख निवासी विशनपुरा चक 12 एन आर डी ढाणी तहसील रायसिंहनगर।

अपीलांट

बनाम

1. गुरचरणसिंह पुत्र
2. जगदीश पुत्र कुशालसिंह जाति रायसिख साकिन विशनपुरा चक 12 एन आर डी ढाणी तहसील रायसिंहनगर।
3. राज्य जरिये तहसीलदार, रायसिंहनगर।
4. वशो बाई पत्नी जीतसिंह पुत्री कुशालसिंह
5. अमरोबाई पत्नी गुरमीतसिंह पुत्री कुशालसिंह अकवाम रायसिख सकनाए लालपुरा छोटा तहसील रायसिंहनगर।
6. सरजीतो बाई पत्नी सरवनसिंह पुत्री कुशालसिंह जाति रायसिख साकिन गॉव कमरावाला तहसील जलालाबाद जिला फिरोजपुर (पंजाब)
7. कशमीरो पत्नी हरदीपसिंह पुत्री कुशालसिंह जाति रायसिख साकिन चक 16 एफ तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार (भू–अभिलेख) रायसिंहनगर दिनांक 14–08–2017

उपस्थित : 1. श्री ओम प्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलांटस
2. श्री रामेश्वर लाल सुथार, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 व 2
3. रेस्पो0 सं0 4–5–6–7 विधिवत् तामील के उपरांत उपस्थित नहीं।

आदेश दिनांक : 07.03.2022

अपीलांट द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत रेस्पोडेन्टस के खिलाफ हस्तगत अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप में सारवान तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट के पिता कुशालसिंह के नाम चक 12 एन आर डी तहसील रायसिंहनगर में मु0 नं0 22 प. नं0 116/310 का कि0 नं0 1 ता 25 में कुल 25 बीघा रकबा परिवार के सदस्यों के आधार पर अलॉट की गई थी। रेस्पो0 सं0 1व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12–7–17 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उनके पिता द्वारा 1.468 है0 रकबा की वसीयत रेस्पो0 सं0 एक

[Type text]

गुरचरणसिंह तथा 1.518 है0 रकबा की वसीयत रेस्पो0 सं0 2 जगदीश के नाम की गई है । वसीयत के आधार पर नामान्तरण किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14–8–17 को मृतक कुशालसिंह के वारिसान को बिना सुने एकपक्षीय तौर पर रेस्पो0 सं0 1 व 2 के नाम नामान्तरण स्वीकृत करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन भूमि परिवार के सदस्यों के आधार पर अलॉट हुई है। कुशालसिंह को तमाम भूमि की वसीयत करने का अधिकार नहीं है। वसीयत के समय अपीलाधीन भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुए थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु विधिवत् नोटिस जारी नहीं किये गये। अपीलांट ढाणी में रहते हैं समाचार पत्र वहॉ नहीं पहुँचता है। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक व सामाजिक न्याय के विरूद्व पारित किया गया है। हिन्दू उतराधिकार के कानूनी प्रावधानों के अनुसार मृतक के सभी वारिसान का बराबर का हक एवं अधिकार है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। प्रथमतः इन्तकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिये था। यदि 45 दिन में ग्राम पंचायतं कोई आदेश पारित नहीं करती है तो तहसीलदार को कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार था। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 4 से 7 बावजूद विधिवत् तमील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु विधिसम्मत् तरीके से नोटिस जारी नहीं किया गया है बल्कि सीधे ही समाचार पत्र दैनिक भास्कर में आपतियॉ आमन्त्रित की गई हैं। रेस्पोडेन्ट सं0 3 के द्वारा वसीयत के संबंध में न तो विधि के प्रवधानों के अन्तर्गत कोई जॉच की गई है। भारतीय उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वसीयत को प्रमाणित किये जाने के प्रावधान प्रदत्त हैं। वसीयत जैसे प्रकरणों में गवाहान से जिरह पूर्व कोई निष्कर्ष नहीं लिया जा सकता था। संज्ञान लेने से पूर्व समस्त वारिसान को सुना जाना और वसीयत की विधि के प्रावधानों के अनुसार जॉच किया जाना आवश्यक था। रेस्पो0 सं0 3 का अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण और विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण पोषणीय नहीं है । यदि 45 दिन में ग्राम पंचायत कोई आदेश पारित नहीं करती है तो तहसीलदार को कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। वसीयत के रोज भूमि गैरखातेदारी थी। गैरखातेदारी

Scanned with CamScanner

भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है जैसा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के तहत यही प्रावधान दिया गया है। लैण्ड रिकार्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। मौके पर कब्जे की जॉच नहीं की गई है। वसीयत के गवाहान से जिरह का अवसर नहीं दिया गया है। मु0 नं0 22 के कि0 नं0 14 में 0.253 है0 की वसीयत होने का अंकित है जबकि राजस्व रेकार्ड में कि0 नं0 14 में 0.203 है0 कमाण्ड रकबा है। इस प्रकार रकबा का मिलान ना होने से कानूनन वसीयत के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अपने तर्को के समर्थन में वकील अपीलार्थीगण ने आर आर डी नवम्बर,2004 पेज 722, आर आर टी 2017(2) पेज 1279, आर आर डी 2013 पेज 575, आर आर टी 2008(1) पेज 546, आर आर डी 2020 पेज 765, आर आर डी 1998 पेज 370, आर आर डी 2004 पेज 727, आर आर डी 2007 पेज 832 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता दौराने बहस उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके द्वारा बहस की गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थीगण का तर्क है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु विधिसम्मत् तरीके से नोटिस जारी नहीं किये गये है बल्कि सीधे ही समाचार पत्र में आपतियॉ आमन्त्रित की गई है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम पेशी 12–7–2017 को ही वसीयतानुसार इंतकाल दर्ज करने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के संबंध में सीधे ही समाचार पत्र में सूचना का प्रकाशन करवाया है जबकि सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। प्रथम बार नोटिस जारी होने चाहिये थे, द्वितीय रजिस्टर्ड नोटिस एवं तृतीय समाचार पत्र द्वारा तामील करवाये जाने के प्रावधान हैं। विधिसम्मत् तामील की प्रकिया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं अपनाई गई है। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने कहा है कि अपीलान्ट ढाणी में निवास करते हैं समाचार पत्र अपीलार्थी के निवास क्षेत्र तक नहीं पहुॅचता है तथा न ही उनके द्वारा ऐसा समाचार पढा है। वकील अपीलार्थी द्वारा अपने उक्त तर्क के समर्थन में आर आर डी 2004 पेज – 727 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया है। यह निर्विवादित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु विधि अनुसार तामील की प्रकिया नहीं अपनाई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के अधिवक्ता का उक्त तर्क स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कथित वसीयत के संबंध में कोई जॉच नहीं की गई है। संज्ञान लेने से पूर्व समस्त वारिसान

[Type text]

Scanned with CamScanner

को सुना जाना आवश्यक था। वास्तविक उतराधिकारियों को छोड़ना वसीयत को सन्देहास्पद बनता है। अपने उपरोक्त तर्को के समर्थन में आर आर डी 2016 पेज 14, आर आर डी 1984 पेज 391, आर बी जे 1997 पेज 308 एवं ए0 आई0 आर0 1995 एस0सी0 पेज 2491 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थी के गवाहान से अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं की गई है क्योंकि अप्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार विधिसम्मत् सूचना न होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही रेस्पोडेन्ट सं0 4 से 7 को तलब किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है।

अपीलांट के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि इंतकाल की कार्यवाही करने की अधिकारिता ग्राम पंचायत की है। 45 दिन तक यदि ग्राम पंचायत इंतकाल स्वीकृत नहीं करती है तव तहसीलदार के पास पत्रावली निर्णय हेतु पहुँचती है लेकिन हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत के पास प्रार्थना पत्र प्रस्तुत प्रेषित नहीं किया गया है।

इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 4–9–82 से ग्राम पंचायत को आवेदन पत्र 45 दिन के अन्दर निर्णित किये जाने का अधिकार है अन्यथा उसके पश्चात् उक्त मामलों में तहसीलदार को अन्यतः क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है।

अधीनस्थ न्यायालय को उक्त. प्रार्थना पत्र प्रथमतः ग्राम पंचायत को भेजा जाना चाहिये था। ग्राम पंचायत यदि 45 दिवस में प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं करती तो तहसीलदार को क्षेत्राधिकार प्राप्त होता । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है।

सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 5 में सम्मनों का निकाला जाना और उनकी तामील की विस्तृत व्यवस्था की गई है। आदेश 5 की उपधारा 5,9,,9क,10 से 21 तक तामील के संबंध में है। सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 5 के अनुसार प्रथमतः सामान्य सम्मन द्वारा तामील करवाई जायेगी और उपधारा 2 के अनुसार प्रत्येक सम्मन के साथ दावे की प्रति संलग्न की जायेगी। सम्मन की तामील हो जाने के उपरांत उपस्थित न आने पर वादी के अधिवक्ता के निवेदन पर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया जायेगा। अंतिम विकल्प के रूप में समाचार पत्र के माध्यम से तामील करवाई जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम पेशी पर ही समाचार पत्र में सूचना के प्रकाशन का आदेश पारित करने में सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 5 का उल्लघंन किया है। अपीलाधीन आदेश से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को न तो विधिवत नोटिस के साथ विरासतन इंतकाल दर्ज करने के प्रार्थना पत्र की प्रति को संलग्न किया गया है और न ही सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर ही प्रदान किया गया है जबकि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु विधिसम्मत् कार्यवाही कर दोनों

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
[Type text]
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

पक्षों को सुनकर तत्पश्चात् निर्णय पारित करना चाहिये था। अतः मेरे विन्रम मत में प्रकरण पुनः विधिवत् सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 26–7–17 को वसीयत की सत्यतता की जॉच के सिलसिले में गवाहान के शपथ पत्र प्रस्तुत हुए, लेकिन गवाहान उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 9–8–17 को गवाहान उपस्थित हुए हैं। बिना अपीलांट को सुने, बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए दिनांक 14–8–17 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है।

वकील अपीलांट का तर्क है कि वसीयत के समय प्रश्नगत भूमि गैरखातेदारी थी। गैरखातेदारी भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है। अपने तर्क के समर्थन में आर आर डी 2004 पेज 722 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

Rajasthan Land Revenue Act, Section 135- Appeal against order of Addl. Divisional Commr. - held. disputed land was recorded in the khatedari of P who executed a will in favour of grand sons anf their mother - Mutation No. 50 attested after death according to the will - Objection raised by wife and son of deceased who are respondents No. 1 and 2 on that ground that P had no power to execute will in respect of disputed land being gair khatedar and without giving notice - Mutation proceedingas is a fiscal proceeding which does not confer any titile - Suit is pending in respectof execution of will in the court - Appellants have filed declaratory suit - Under the circumstances it is not desirable to stop fiscal PROCEEDING OF MUTATION - ADDL. dIVISIONAL COMMR. HAS REMANDED THE CASE TO THE TEHSILDAR FOR ATTESTATION OF MUTATION IN FAVOUR OF LEGAL SUCCESSORS OF THE deceased P No - irregularity or legal error in the order - No. interference is required - Order confirmed.

अतिरिक्त जिला कलक्टर। सतर्कता
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी वारिसान को विधिवत सुनवाई हेतु न तो नोटिस जारी किया है और न ही सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होता है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के परिणामस्वरूप मेरे विनम्र मत में उभय पक्षकारों की विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14-8-17 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणदोष के आधार पर प्रकरण में नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25-03-22 को उपस्थित हों। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 07.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अजारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner